5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 1657-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

श्याम सुन्दर नरवरिया पुत्र श्री विशम्भर सिंह
आयु– 34 वर्ष , व्यवसाय–प्राईवेट कार्य
निवासी–जनकपुरी गेट के पास,
आदित्यपुरम, ग्वालियर ....आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला
ग्वालियर ....अनावेदक

आज दि. 23-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 27/05/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय मुरार जिला ग्वालियर (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 21/अ– 68/14.–15 में पारित कर निगरानी कर्ता को कारण वताओ नोटिस अन्तर्गत धारा 248(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता प्रदान कर खसरा नं0 513–514 के 1000 वर्गफुट शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा वताते हुए कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1657—अध्यक्ष / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8—7—2015	आवेदकगण की ओर से श्री एस0 के0 खरे, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 27—5—2015 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा अभी आवेदक को केवल कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया है और उसे अपना पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीम्योच्योर होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	